# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1874/2024**

महेश प्रकाश सेन **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष–सह–कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका, झालावाड़।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 27.05.2024
**आदेश की दिनांक** : 10.12.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री के.एन. शर्मा, अभिभाषक

**समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.11.2022 एवं 06.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को न केवल सफाई निरीक्षक द्वितीय से जमादार के पद पर पदावनत किया गया है बल्कि उसे जमादार के पद से सेवानिवृत्त भी कर दिया गया है। अतः उसे सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद की पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी नाकागाढ के पद पर नगर पालिका, झालावाड कार्य कर रहा था और 241 दिवस पूर्ण करने पर ऐसे कार्मिकों की सेवायें निरंतर की गई और अपीलार्थी को भी आदेश दिनांक 01.09.1981 के द्वारा वेतन श्रृंखला रूपये 240–0–270–4–290 कार्यालय में जमादार के पद पर नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त पद पर कार्य करने के पश्चात् सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन दिया, जिसके संबंध में विभाग द्वारा पत्र लिखा गया और उप निदेशक स्थानीय निकाय कोटा द्वारा पत्र

दिनांक 21.03.1997 के अनुसरण में कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका, झालावाड को दिनांक 10.04.1997 को पत्र लिखा और जिन कार्मिकों को जमादार के पद पर 5 वर्ष का अनुभव है, उन्हें राजस्थान नगर पालिका नियम, 1963 के अंतर्गत सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है और इस प्रकार अपीलार्थी जमादार के पद पर 15 वर्ष का अनुभव रखता है। इसलिये अपीलार्थी सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद पर पदोन्नति योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा दिनांक 16.06.1997 को आदेश जारी किया गया तथा अपीलार्थी को सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद पर पदोन्नति दी गई और वेतन श्रृंखला 1200–2050 प्रदान की गई। परंतु प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा दिनांक 01.06.1999 को पत्र जारी किये गये, जिसमें पत्र दिनांक 16.06.1997 को निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार जारी किया गया उक्त पत्र उपरोक्त नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5195/2001 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.08.2002 आदेश जारी करते हुये अंतरिम आदेश जारी किया तथा आदेश दिनांक 01.06.1999 की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया और दिनांक 30.10.2019 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर अपीलार्थी को सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद पर निरंतर कार्य करने के निर्देश दिये और यह भी उल्लेख किया कि यदि प्रत्यर्थी विभाग रिव्यू डीपीसी आयोजित करता है तो अपीलार्थी को अवसर देने उपरांत उसे रिवर्ट कर सकता है। उसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 21.01.2021 को आदेश पारित कर अपीलार्थी को पुनः जमादार के पद पर पदावनत कर दिया गया। अपीलार्थी पुनः माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3728/2021 प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.04.2021 को अंतरिम आदेश जारी किया। अपीलार्थी दिनांक 08.07.2021 को सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद से अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को जमादार के पद पर रिवर्ट किया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 06.12.2022 के द्वारा संशोधित सेवानिवृत्ति आदेश अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया और जिसमें अपीलार्थी को जमादार के पद पर रिवर्ट किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि अपीलार्थी दसवीं योग्यता उत्तीर्ण नहीं है और सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद के लिये दसवी योग्यता अनिवार्य है। अपीलार्थी ने पुनः आदेश दिनांक 29.11.2022 एवं 06.12.2022 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देते हुये एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5862/2024 प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा उक्त मामले को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश पारित किया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.11.2022 एवं 06.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को न केवल सफाई निरीक्षक द्वितीय से जमादार के पद पर पदावनत किया गया है बल्कि उसे जमादार के पद से सेवानिवृत्त भी कर दिया गया है। अतः उसे सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद की पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी नाकागाढ के पद पर नगर पालिका, झालावाड कार्य कर रहा था और 241 दिवस पूर्ण करने पर ऐसे कार्मिकों की सेवायें निरंतर की गई और अपीलार्थी को भी आदेश दिनांक 01.09.1981 के द्वारा वेतन श्रृंखला रूपये 240–0–270–4–290 कार्यालय में जमादार के पद पर नियुक्ति दी। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा दिनांक 16.06.1997 को आदेश जारी किया गया तथा अपीलार्थी को सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद पर पदोन्नति दी गई और वेतन श्रृंखला 1200–2050 प्रदान की गई। परंतु प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा दिनांक 01.06.1999 को पत्र जारी किये गये, जिसमें पत्र दिनांक 16.06.1997 को निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार जारी किया गया उक्त पत्र उपरोक्त नियमों के विपरीत है। जहां तक अपीलार्थी को सफाई निरीक्षक द्वितीय से जमादार के पद पर पदावनत किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 16.06.1997 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश कार्यालय अध्यक्ष नगर पालिका मण्डल, झालावाड द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अपीलार्थी को सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद पर अस्थायी पदोन्नति एक वर्ष के लिये दी गई। परंतु उक्त पद पर स्थायी किये जाने का कोई आदेश पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उक्त पद पर स्थायी नहीं किया गया है और आदेश दिनांक 01.06.1999 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को स्वास्थ्य निरीक्षक पद पर अनियमित पदोन्नति की गई है, जिसे उक्त आदेश के द्वारा पदोन्नति को निरस्त किया गया है, जो कार्यालय उप निदेशक निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा जारी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की पदोन्नति नियमों को ध्यान में रखते हुये नहीं की गई है जिसे

सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया गया है, अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के उपरांत भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे उक्त सफाई निरीक्षक द्वितीय के पद पर स्थायी किये जाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इससे भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त पदोन्नति आदेश नियमों को ध्यान में न रखते हुये जारी किया गया है, जिसमें हमें किसी प्रकार की नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**अध्यक्ष**